

कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा-II) मध्यप्रदेश, भोपाल 462011

शासकीय आवास आवंटन के लिए आवेदन पत्र का प्रोफॉर्मा

1	सरकारी कर्मचारी का नाम (हिन्दी एवं अंग्रेजी में स्पष्ट अक्षरों में)	
2	पदनाम एवं स्थायी क्रमांक	
3	कार्यालय जिसमें कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं	
4	इकचित आवास का टाइप	
5	इच्छित आवास न मिलने पर वैकल्पिक आवास स्वीकार्य (हाँ/नहीं)	
6	इच्छित आवास टाइप की पात्रता ग्रेड वेतन धारित करने का दिनांक	
7	Pool जिसके अंतर्गत आवास आवंटन चाहा गया है	
8	दिनांक 01/07/2025 को मूल वेतन (लेवल सहित)	
9	केंद्र सरकार सेवा में आने का दिनांक एवं उस कार्यालय का नाम	
10	जन्म तिथि	
11	सेवानिवृत्त दिनांक	
12	भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में आने का दिनांक	
13	दिनांक 01/03/2025 को पदक्रम सूची का पृष्ठ एवं सरल क्रमांक	
14	Ex-serviceman के संदर्भ में पूर्व सेवा की अवधि	
15	श्रेणी- सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	
16	क्या कर्मचारी विकलांग हैं यदि हाँ तो विकलांगता की प्रकृति लिखे (अस्थि विकलांग, श्रवण विकलांग,	
17	परिवार के सदस्यों की संख्या एवं आवेदक से संबंध	
18	क्या पदस्थापना स्थान पर या नगर पालिका परिसीमा के अन्दर आवेदक के नाम से अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई मकान है।	
19	यह मूल प्रथम आवेदन है या परिवर्तन है	
20	ऑफिशियल ई-मेल आई-डी	
21	वर्तमान निवास का सही पता व दूरभाष क्रमांक	
22	किसी भी पूर्व बेदखली/आवेदन करने से रोकने / किसी अन्य शर्त का विवरण जो आवेदक को शास्त्री नगर में आवास के आवंटन के लिए अयोग्य बनाती हो की जानकारी ।	

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मेरे द्वारा आवास आवंटन नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा। मेरे पति/पत्नी को केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा शासकीय आवास आवंटित नहीं किया गया है। The public premises (eviction of unauthorized occupants) Act, 1971 के अंतर्गत भविष्य में अगर मैं दोषी पाया गया तो मुझे बेदखल किया जा सकता है। सम्पदा अधिकारी द्वारा बेदखली आदेश जारी होने के एक माह के भीतर आवंटित शासकीय आवास मेरे द्वारा रिक्त कर दिया जावेगा।

ग्वालियर

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

प्रतिहस्ताक्षरितः

पदनाम व स्थाई क्रमांक

अनुभाग का नाम

अनुभाग का दूरभाष.

स.ले.प.अ./स.ले.अ./प्रशासन-

नोट 1- शासकीय आवास के आवंटन होने के पश्चात यदि शासकीय अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य, संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पदस्थापना स्थान पर या नगर पालिका क्षेत्र में कोई मकान का मालिक हो जाता/जाती है तो नियम 3B (3) के अन्तर्गत एक माह के भीतर संपदा अधिकारी को अनिवार्य रूप से सूचित करें ।

2. आवंटन आदेश के जारी होने के 8 दिन के भीतर आदेश प्राप्त न करने अथवा आदेश प्राप्ति के 5 दिन के भीतर आवंटित आवास का अधिपत्य न लेने के स्थिति में आवंटन निरस्त माना जावेगा एवं आदेश जारी होने के दिनांक से तीन माह पुनः आवास आवंटन की पात्रता नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त आवंटित आवास का एक माह का विज्ञप्ति शुल्क एवं जल प्रभार भी वसूला जावेगा।

3. नियमानुसार सदस्यता ग्रहण करने हेतु मैं मासिक अंशदान (आवास के Type के अनुसार) प्रदान करने हेतु अपनी सहमति प्रकट करता/करती हूँ।

ग्वालियर

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

पदनाम व स्थाई क्रमांक